

**राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग**

क्रमांक : प.10(31)नविवि/3/1997-11538

जयपुर, दिनांक : यथा ई-हस्ताक्षर

अधिसूचना

विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31.01.2025 के क्रम में राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1950 की धारा 7 के अन्तर्गत अनुमोदित प्रतापगढ मास्टर प्लान-2023 की समयावधि दिनांक 31.12.2025 को समाप्त चुकी है, को एतद्वारा दिनांक 31.12.2026 अथवा नया मास्टर प्लान प्रारूप का प्रकाशन होने तक, जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाया जाता है।

यह मास्टर प्लान इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22.07.1998 के द्वारा अधिसूचित "प्रतापगढ नगरीय क्षेत्र" के लिए लागू रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, प्रतापगढ ।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर।
7. आयुक्त, नगर परिषद, प्रतापगढ ।
8. प्रोग्रामर, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव-प्रथम
Signature Not Verified

Digitally Signed by Ravi Vijay
Designation : Deputy
Secretary To Government
Date :24-06-2026 11:14:00

**RajKaj Ref No.:
22966308**